कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

क्रमांक :– जिशिअ / माप्र / उदय / लेखा–2 / फा–मान्यता–क्रमोन्नति / 2016 / 356 दि0 09.09.2016

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान अजमेर

विषय :– गैर सरकारी विद्यालयों को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमौन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा/माध्य/ अ–2/21313/ 2016..–17 दिनांक 24.082016 के द्वारा गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिये गये निर्देशों की पालना में निम्न शर्तो के आधार पर सत्र 2016–17 से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1. संस्था कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं करेगी ।
2. संस्था में शत प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापकों को ही नियुक्त किया जावेगा ।
3. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के प्रावधानों की यथोचित पालना करनी होगी ।
4. संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) सम्बन्धित के विनियमनों व निर्देशों की पालना करनी होगी ।
5. संस्था सत्र 2016–17 में कक्षा 9वीं प्रारंभ करेगी एवं उसके बाद सत्र 2017–18 में कक्षा 10वीं प्रारम्भ करेगी ।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार कोताही पायी गई तो संस्था की मान्यता बिना किसी सूचना के निरस्त की दी जावेगी ।
7. संस्था को बोर्ड के नियमानुसार निर्धारित आरक्षित कोष रखना होगा ।
8. संस्था को प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से (पीडब्ल्यूडी) प्राप्त कर एवं सभी विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा अनिवार्य रूप से करवा कर छाया प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करनी होगी नहीं करने पर मान्यता निरस्त कर दी जावेगी ।
9. संस्था मान्यता हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से प्रपत्र "क" प्राप्त कर दो प्रतियों में आदेश दिनांक के एक माह के अन्दर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा । एक माह के बाद विलम्ब शुल्क देना होगा ।
10. विद्यालय नाम / भवन / वर्ग / माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभाग की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी । बिना विभाग की स्वीकृति के स्थान, भवन, नाम, वर्ग, एवं माध्यम परिवर्तन किया तो मान्यता निरस्त कर दी

जावेगी ।

11. राज्य सरकार/ विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों / नियमों / निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाऐं अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे ।
12. नियमानुसार पी.एफ. की कटौती करनी होगी ।
13. आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश देना एवं पालना करना अनिवार्य होगा
14. आरटीई अधिनियम 2009, राज्य नियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत खेल मैदान कक्षा कक्षों के मानदण्डों की अनिवार्यता रहेगी ।
15. माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति पर प्राथमिक विद्यालयों के लिए पृथक भवन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय अलग नहीं करने की स्थिति में मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।
16. राजस्थान राज्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की पालना की जाये। www.rte.raj.nic.in । पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराये । उक्त की पालना नहीं करने पर आपकी मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी ।

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर क्रमौन्नति

क्र.सं.	नाम संस्था	माध्यम
1.	विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय गोगुन्दा	हिन्दी
2	माउन्ट व्यू उप्रावि बेडवास, उदयपुर	अंग्रेजी
3	सेंट मैथ्यूस मिशन उप्रावि सायरा	अंग्रेजी
4	सरस्वती निकेतन उप्रावि घासा	हिन्दी

(शिवजी गौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, उदयपुर

क्रमांक :– जिशिअ/माप्र/उदय/लेखा–2/फा– मान्यता–क्रमोन्नति/2016 दि0 09.09.2016

प्रतिलिपि :–
1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप 5 विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
3. शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक, उदयपुर मण्डल– उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय/ प्रारम्भिक उदयपुर
5. सम्बन्धित संस्था ....
6. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय
7. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम, उदयपुर